

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 48/2019

उनवान

1. श्रवणी देवी पत्नी छोटू
2. रामा,
3. धीर सिंह,
4. हरि सिंह पि. छोटू
5. रामी,
6. नानी पुत्रियाँ छोटू जाति रावत नि. बनेवडा, नसीराबाद  
वादीगण :- श्री रमेश रावत

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र श्रवण,
2. गीता पुत्री श्रवण,
3. रूकमा पत्नी रामदेव,
4. लाला,
5. मदन,
6. प्रहलाद पि० रामदेव,
7. गुमानी,
8. सीता,
9. गीता,
10. मोना,
11. संतोष पुत्री रामदेव, जाति रावत नि. बनेवडा, नसीराबाद,
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद  
प्रतिवादीगण :- 1 से 11 अनुपस्थित  
12 जरिये तहसीलदार नसीराबाद


वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा० का० अधि० 1955

-: निर्णय :-

दिनांक :- 6/6/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के वंकिंग खसरा नम्बर 646 रकबा 0.24 हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 0.24 की आराजी विरासत से प्राप्त होकर मौखिक बंटवारे में श्रवण पुत्र सरदारा के हिस्से में आयी थी। तथा श्रवण पुत्र सरदारा ने उक्त आराजी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1978 को वादीगण के पति/पिता को विक्रय कर दिया। जिनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विक्रेता श्रवण के वासि प्रतवादी ख्या 1 व 2 है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी श्रवण के भाई रामदेव के वारिसों के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 3 से 11 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण

—2

  
उपखण्ड अधिकारी



Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है अतः वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निपेघाजा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। राज0 पेंरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में कोई खण्डन नहीं होने से प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गयी।


अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये व साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पेंराकार की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 442 रकबा 5-11-10 सरदारा पुत्र हिन्दु व अन्य कई व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का वंकिंग खसरा नम्बर 646 रकबा 1-9-0 व हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 0.24 रामदेव पुत्र सरदारा के नाम दर्ज है। वादीगण के पति/पिता ने उक्त आराजी श्रवण पुत्र सरदारा से दिनांक 15.7.1978 को कय की थी। कय दिनांक को व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी कभी भी विकेता की खातेदारी में नहीं रही। वादी का कथन है कि उक्त आराजी खातेदार रामदेव पुत्र सरदारा के भाई विकेता श्रवण पुत्र सरदारा के हिस्से में मौखिक बंटवारे से आयी किन्तु इसके समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये है। चौसाला जमावंदी में भी उक्त आराजी कई व्यक्तियों के नाम दर्ज है। समस्त तत्कालीन खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। चौसाला खसरा नम्बर 442 का कुल रकबा 5-11-10 था किन्तु वादी ने समस्त रकबे की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वादीगण के पति/पिता की विधिक कयशुदा नहीं है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नहीं होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 0.24 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीरावाद



डिक्री व मुकदमें इत्ताई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

श्रवणी वनाम नन्दकिशोर


दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 48/2019

पेश करने की दिनांक - 17.05.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)-व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार भिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-


ग्राम वनेवडा के हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 0.24 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक            को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 6 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान वावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद